संख्याः 1257 /XVII(4)/2015/5(24)/13T.C

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 28 अक्टूबर, 2015

विषयः—निर्भया योजना का उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—292 / 197 / UWCDS / 2015—16, दिनांक 14.08. 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में निर्भया योजना के संचालन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 1955 / XVII(4)/2013/5(24)/13, दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 एवं शासनादेश संख्या—67/XVII(4)/2013/5(24)/13, दिनांक 20 जनवरी, 2014 जिसके द्वारा उक्त योजना राज्य के 04 जनपदों क्रमशः पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल में प्रारम्भ की गयी, के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं के प्रति बढते अपराधों एवं किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपराध से निपटने के लिये प्रभावी कदम उठाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में निर्भया योजना राज्य के प्रत्येक जनपद में संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या — 1955/XVII(4)/2013/5(24)/13, दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के दिशा—निर्देश यथावत् प्रभावी रहेंगे। कृपया उपरोक्तनुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति
पंजीकरण संख्या 478
फाईल संख्या
दिनांक 29/10/15

संख्या (1)/XVII(4)/2015/5(24)/13T.C, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।